कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा (कोटपूतली) जयपुर
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

क्रमांक–KVK/KTP/60 दिनांक 16.06.2025

खुली निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्र के फार्म पर खरीफ 2025 में लगभग 6.0 हैक्टेयर तथा रबी 2025–26 में लगभग 25.0 हैक्टेयर के लिए हिस्सा आधारित खेती के लिए खुली निविदायें आमंत्रित की जाती है। इच्छूक व्यक्ति केन्द्र पर अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता से दिनांक 26.6.2025 प्रातः 12.30 बजे तक पॉच सौ रू जाम करा के निविदा प्रपत्र एवं शर्तों की जानकारी प्राप्त कर सकते है तथा उसी दिन दोपहर 1.30 बजे तक निविदा प्रपत्र जमा कराने होगे। धरोहर राशि 20000/– रूपये (नकद) निविदा प्रपत्र के साथ जमा करवानी होगी। निविदा उसी दिन दोपहर बाद 2.00 बजे निविदा कमेटी के सामने खोली जायेंगी। नियम व शर्ते प्रपत्र में उपलब्ध है। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को होगा।

Sufern Singh
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

प्रतिलिपि–

1. श्रीमान निदेशक महोदय, प्रसार शिक्षा निदेशालय,श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर कि उक्त विज्ञप्ति को खोली जानी वाली दिंनाक 26.6.2025 को अपना प्रतिनिधि भेजने का श्रम करावें।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को खोली जानी वाली दिंनाक 26.6.2025 को अपना प्रतिनिधि भेजने का श्रम करावें।
3. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइटपर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
4. प्रभारी, टेप कमेटी कृषि विज्ञानकेन्द्र, गोनेड़ा (कोटपूतली) जयपुर
5. सूचना पट्ट कार्यालय
6. रक्षित पत्रावली।

Sufern Singh
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

8.	निविदादाता को कृषि कार्यो का पूर्ण अनुभव होना चाहिए।
9.	फार्म पर कृषि कार्यो के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने, सांप कांटने, बिजली से व अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष व केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
10.	**फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इक्कठा करना है व कितने ढेर बनाने है इसके लिए फार्म इंचार्ज /मैनेजर व वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष से सम्पर्क करना होगा** तथा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों को देखते हुए फसल इक्कठा करने के लिए ट्रेक्टर ट्रोली की सुविधा केन्द्र द्वारा दी जा सकती है। लेकिन ट्रैक्टर ट्रैक्टर ट्राली देने के लिए केन्द्र बाध्य नहीं होगा।
11.	निराई, गुडाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की देखते हुए निविदादाता को करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म इंचार्ज /मैनेजर व वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को होगा।
12.	थ्रेसिंग पश्चात बोरियों में भरते समय ध्यान रखें किसी भी बोरी का वजन 1 क्विंटल से अधिक नहीं हो।
13.	थ्रेसिंग में लगे मशीनरी का खर्चा स्वयं निविदादाता द्वारा वहन करना होगा तथा थ्रेसिंग कार्य कार्यालय समय में ही होगा। लेकिन श्रमिक निविदादाता के ही होगे।
14.	थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिए फार्म की ट्रैक्टर ट्रोली उपलब्ध करवा दी जायेगी।
15.	फसल में रोगिंग/अपवांछन कार्य फार्म मैनेजर की देख रेख में निविदादाता को ही करना होगा।
16.	प्रथम वरियता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नही संम्भालने पर निविदा निरस्त करके अगली वरीयता पार्टी को कार्य का आर्देश अधोहस्ताक्षर कर्ता दे सकेगें। निविदा की अवधि एक साल (खरीफ एवं रबी) फसल की रहेगीं।
17.	**फार्म फिल्ड पर खरीफ एवं रबी में ट्राइल/क्रोप केफेटेरिया लगाया जाता है, उसकी जानवरों से सुरक्षा निविदादाता की करनी होगी तथा उस में पानी लगाने तथा रसायनिक खाद व दवा छिडकने का कार्य निविदादाता को करना पडेगा।**
18.	फार्म में लगें या लगाये जाने वाले सजावटी/फलदार/चारा पेड़ो की जानवरों से सुरक्षा निविदादाता को करनी होगी।
19.	फार्म पर कार्य संतोषजनक नहीं होने पर निविदा को निरस्त करने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा जो कॉन्ट्रेक्टर को मान्य होगा।
20.	आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।यदि निविदादाता को जगह की रहने की जगह केन्द्र उपलब्ध करवाता हैं तो निविदादाता को रुपये 500 आवास शुल्क देना होगा।
21.	जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
22.	थ्रेसिंग कार्य में बताये अनुसार थ्रेसर लगाकर कार्य करवाना होगा एवं केन्द्र की थ्रेसर उपलब्ध नहीं होने पर निविदादाता को अपने खर्चे से थ्रेसिंग कार्य करवाना होगा। केन्द्र द्वारा थ्रेसर मशीन उपलब्ध कराना बाध्य नहीं है।
23.	फार्म की फसलों की रखवाली दिन–रात की निविदादाता द्वारा की जावेगी।इस केन्द की जिम्मेदार नहीं होगी।
24.	सफल निविदादाता को पचास रूपये के नॉनज्यूडिस्यल स्टाम्प पेपर पर शपथ देना होगा।
25.	**फार्म पर बुवाई क्षेत्र के आस पास खरपतवार व अन्य अवांछित पौधे निकालने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।पौधे नहीं निकालने पर केन्द्र मजदॅूर लगाकर निकलवायेगा तथा लगने वाली मजदूरी का भुगतान निविदादाता से वसूला जावेगा।**
26.	निविदादाता को प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करने होंगे।
27.	पम्प व टयूब वैल मोटर ओपरेशन निविदादाता को ही करना होगा। निविदादाता यदि खेत में प्लास्टिक की कप या बोतले इस्तेमाल करते है तो उस को उडाने की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी।
28.	निविदादाता और उस के द्वारा लगाये गये श्रमिको को मादक पदार्थ (शराब ,गाजा ,भाग आदि) का सेवन करते हुए या करके आने पर निविदा रद करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को होगा और धरोहर राशि भी जप्त कर ली जायेगी।

Supern Singh

हस्ताक्षर निविदादाता मय पता

कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा (कोटपूतली) जयपुर
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

निविदा सूचना KVK/KTP/60 दिनांक 16.6.2025

1. योजना का नाम	हिस्सा आधारित खेती
2. बजट हेड	रिवोल्विंग फंड
3. कार्य की अनुमानित अवधि	खरीफ 2025 तथा रबी 2025–26
4. धरोहर राशि की प्रकृति व राशि	20000/– रूपये (नकद)

5. निविदादाता/कॉन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण–

क्र. सं.	विवरण	हिस्सेदारी	प्रतिशत (%) रबी
1.	चारा उपज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
		कोन्ट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जाने वाला हिस्सा	
2.	दाना/बीज उपज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
		कोन्ट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जोने वाला हिस्सा	

निविदा शर्ते :–

1.	बीज उत्पादन के लिये खेतो की सिंचाई (पलेवा) से लेकर थ्रेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके तोलकर गोदाम में रखने तक सभी कार्य हिस्साधारक (निविदादाता/ठेकेदार) को करने होगे।जिसमें खेत में सिंचाई करना ,निराई गुडाई करना, खरपतवारनाशी,कीटनाशी व फफूदनाशी व उर्वरकों का छिडकाव करना, फसल की कटाई करना ,एकत्रित करके थ्रेसिंग करना इत्यादि कार्य हिस्साधारक को करने होगे।
2.	ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य तथा ड्राईवर केन्द्र के होगे लेकिन श्रमिक व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी। अर्थात इनमें सम्बन्धित डीजल खर्च मे निविदादाता का कोई येागदान नहीं रहेगा। केन्द्र पर ड्रईवर नही होने पर ट्रैक्टर निविदादाता को ही चलाना होगा।
3.	फार्म पर काम आने वाले कृषि उपकरणो,ओजारो,फव्वारो के पाईपो व नोजल ,सबमसिबल पंप, स्टारटर इत्यादि की देख रेख की जिम्मेदारी हिस्साधारक (निविदादाता/ठेकेदार) की होगी।कार्य प्रारम्भ से पहले गिनकर सभी वस्तुओ को लेने होगे व कार्य समाप्ति पर सही हालत में जमा करवाने होगे।
4.	फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले खाद एवं उर्वरक, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्चर, खरपतवारनाशी आदि की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी। लेकिन कार्य निविदादाता द्वारा करने होगे। आदान वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष की सिफारिश के अलावा देय नहीं होगा।
5.	फसल थ्रेसिंग एवं गोदाम तक तोलकर रखवाने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगे। तोलते समय नमी व कचरे का 2 प्रतिशत काटा जायेगा।
6.	विभिन्न प्रकार की सस्य क्रियायें फार्म इंचार्ज/ मैनेजर व वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष के निर्देशानुसार करनी होंगी तथा सारा श्रमिक व्यय एवं लगने वाले औजारों की व्यवस्था निविदादाता को ही वहन करनी होगी। केन्द्र कोई औजार उपलब्ध नहीं करायेगा।
7.	निविदादाता को उत्पादन के रूप में बीज नहीं दिया जायेगा हिस्से की राशि उत्पादन को जमा कराने की तिथि से कृषि उपज मण्डी, कोटपूतली मे 7 दिन पहले के औसत मण्डी भाव के अनुसार अदा की जायेगी। जिन जिंसो का भाव कृषि उपज मंडी ने नही होने पर जहॉं पर बेचान होता है। उस मंडी का भाव अखबार के आधार पर होगा। व्यवसायिक उत्पादन का हिस्सा निविदाता को दिया जायेगा

Sufena Singh